संख्या-16 /2017/1123/62-1-2017-1104/2016

प्रेषक,

राम किंकर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0,
लखनऊ ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 28 अगस्त,2017

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के अधीन "भूगर्भ जल सर्वेक्षण का विकास, आकलन एवं सुदृढ़ीकरण" हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-603जी/भू0ज0वि0/बी-1/डब्लू, दिनांक 18 अगस्त, 2017 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/ बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03-08-2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के अधीन "भूगर्भ जल सर्वेक्षण का विकास, आकलन एवं सुदृढ़ीकरण" हेतु लेखानुदान के माध्यम से शासनादेश संख्या-03/ 2017/355/62-1-2017-1104/2016, दिनांक 28 अप्रैल,2017 द्वारा रू0 2801.36 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। अतएव आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 6937.00 लाख में से प्रथम 05 माहों हेतु अवमुक्त की गयी उक्त धनराशि रू0 2801.36 लाख तथा मानक मद 14-मोटर गाडियों का क्रय के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 8.50 लाख को घटाते हुए अवशेष धनराशि रू0 4127.14 लाख (रूपया इकतालीस करोड. सत्ताईस लाख चौदह हजार मात्र) को निम्नलिखित विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

राजस्व पक्ष-

"लेखाशीर्षक-2702-लघु सिंचाई-02-भूजल-005-अन्वेषण-03 भूगर्भ जल सर्वेक्षण का विकास, आकलन एवं सुदृढीकरण ।"

(धनराशि लाख रू0 में)

क्रं0 सं0	कोड	मानक मद	वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में बजट प्राविधान	लेखानुदान द्वारा 05 माहों हेतु अवमुक्त धनराशि	वित्तीय वर्ष 2017-18 के अवशेष माहों हेतु निदेशक, भूगर्भ जल विभाग के निवर्तन पर रखी जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	01	वेतन	5505.75	2457.58	3078.17
2	02	मजदूरी	76.50	6.00	70.50
3	03	मंहगाई भत्ता	330.35	121.38	208.97
4	04	यात्रा भत्ता	10.00	4.17	5.83
5	05	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	4.00	1.67	2.33
6	06	अन्य भत्ते	264.12	110.05	154.07
7	08	कार्यालय-व्यय	67.50	28.00	39.50
8	09	विदयुत देय	10.00	4.17	5.83
9	10	जलकर/जल प्रभार	0.10	0.04	0.06
10	11	लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	15.00	5.80	9.20
11	12	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	13.00	1.00	12.00
12	13	टेलीफोन पर व्यय	2.50	1.04	1.46
13	14	मोटर गाडियों का क्रय	8.50	0	-
14	15	गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	69.20	28.80	40.40
15	16	व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	25.00	10.00	15.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

16	17	किराया उपशुल्क और कर-स्वामित्व	25.00	10.42	14.58
17	18	प्रकाशन	45.00	6.00	39.00
18	19	विज्ञापन विक्री और विख्यापन व्यय	0.10	0	0.10
19	26	मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	11.00	0	11.00
20	29	अनुरक्षण	23.00	9.50	13.50
21	42	अन्य व्यय	26.00	5.00	21.00
22	43	सामग्री एवं सम्पूर्ति	5.00	0	5.00
23	44	प्रशिक्षण हेतु यात्रायें एवं अन्य प्रासांगिक व्यय	0.50	0.20	0.30
24	45	अवकाश यात्रा व्यय	2.00	0.83	1.17
25	46	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफटवेयर का क्रय	11.00	0	11.00
26	47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	17.00	7.00	10.00
27	49	चिकित्सा व्यय	18.00	12.50	5.50
28	51	वदी व्यय	0.50	0.21	0.29
29	52	पुनरीक्षित वेतनमानों का अवशेष (राजकीय)	351.38	0	351.38
		योग	6937.00	2801.36	4127.14

(रूपया इकतालीस करोड सत्ताईस लाख चौदह हजार मात्र)

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि के वास्तविक आवश्यकतानुसार कोषागार से आहरण, व्यय प्रबन्धन में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03-08-2017 में विनिर्दिष्ट किये गये समस्त अनुदेशों एवं अन्य सुसंगत वित्तीय नियमों/ प्राविधानों/शासनादेशों का अनुपालन अवश्यमेव सुनिश्चित किया जाय ।

(2) उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत भूगर्भ जल कार्यक्रम की चालू योजनाओं में अन्य व्यय (अधिष्ठान) की मदों में व्यय हेतु है 1 अवमुक्त धनराशि को किसी ऐसे मद पर कदापि व्यय न किया जाय, जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल एवं शासन के अस्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसा व्यय शासन या सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाय तथा व्यय अवमुक्त धनराशि तक सीमित रखा जाय ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

व्यय में की गयी किसी भी अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

(3) मानक मद 14-मोटर गाडियों का क्रय के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि से सम्बन्धित वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से जारी की जायेगी। तदनुसार औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाय ।

(4) अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा व्यय हेतु समय-समय पर शासन द्वारा मितव्ययिता सम्बन्धी निर्गत आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

(5) यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाय कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही, सम्पूर्ण, मुख्य, लघु, उप एवं विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाय अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी । अवमुक्त धनराशि को यथाशीघ्र खण्डीय अधिकारियों को आवंटित करते हुए शासन को अवगत कराया जाय ।

(6) विभिन्न लेखानुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आंवटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून,1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) तत्सम्बन्धी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के अधीन 2702-लघु सिंचाई-02-भूजल-005-अन्वेषण-03 भूगर्भ जल सर्वेक्षण का विकास, आकलन एवं सुदृढीकरण योजना में सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा ।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/ बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03-08-2017 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(राम किंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-16/2017/1123 (1)/62-1-2017, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।

(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।

(3) नियोजन अनुभाग-3, उ0प्र0शासन।

(4) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-2 उ0प्र0शासन ।

(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 उ0प्र0शासन ।

(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।

(7) निदेशक, सूचना, उ0प्र0 ।

(8) एन0आई0सी0 की प्रति

(9) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(संजय शुक्ला)
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।